

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बड़जलारस - श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 105/2018/राजस्व वाद

उनवान

सुगनाबाई पत्नि शिवलाल जाति मेघवाल नि. सिलेगढ तहसील पचपहाड

- वादीया

बनाम

नारायण पि. धन्नालाल जाति मेघवाल नि. नोलाई तहसील पिडावा

-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री पूरीलाल राठौर

वकील प्रतिवादी - श्री नीलकमल त्रिवेदी

निर्णय

दिनांक : 08/04/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 122 आराजी ख.नं. 473 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीया की खातेदारी , कब्जे एवं काश्त की है जिसमें संतरे का बगीचा लगा हुआ है। प्रतिवादी का वादीया की आराजी में किसी प्रकार से संबंध नहीं हाने पर भी वह वादीया की आराजी में अवैधानिक प्रवेश करके उसमें स्थित संतरे के बगीचे को काटकर जबरन अवैधानिक कब्जा करना चाहता है। यदि प्रतिवादी अपनी योजना में सफल हो गया तो वादीया के वैधानिक अधिकारों को अपरिमित क्षति होगी जिसके लिये द्रव्य में यथायोग्य आंकलन नहीं किया जा सकेगा इस कारण प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 08.10.2018 को प्रतिवादी द्वारा अवैधानिक प्रवेश कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने से उत्पन्न हुआ। अतः वाद वादीया स्वीकार कर ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 122 आराजी ख.नं. 473 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश जारी कर पाबंद फरमाया जावे वह उक्त आराजी में किसी भी



COURT 2021



1

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

प्रकारेण विघ्न नहीं करें। वाद पत्र के साथ ग्राम खजूरी की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 122 की नकल संलग्न की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करने प्रतिवादी की ओर से वकील श्री नीलकमल त्रिवेदी ने वकालातनामा पेश कर वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब पेश किया एवं विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि प्रतिवादी की ग्राम नोलाई की आराजी ख.नं. 50/1104 रकबा 2 बीघा भूमि पर वादीया के पति एवं उनके पुत्रो ने कब्जा कर रखा था जिसे हटाने का आदेश न्यायालय तहसीलदार पिडावा द्वारा किया जिसकी पालना पटवारी हल्का द्वारा की गई उसकी द्वेशता से वादीया ने यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने कभी वादीया की आराजी पर कब्जा नहीं किया अतः वाद खारीज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वादपत्र, जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 122 आराजी ख.नं. 473 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा भूमि वादीया की खातेदारी , कब्जे एवं काश्त की है जिसमें प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

आदेश

प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीया के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 122 आराजी ख.नं. 473 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा भूमि में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीया के शामलाती खातेदारी की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं करें।

पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेदसिंह राजपत)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला शालावाड़ (राज.)
पिडावा जिला शालावाड़(राज.)

डिक्री मुकदमा इक्टदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलारा - श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 105/2018/राजस्व वाद

उनवान

सुगनाबाई पत्नि शिवलाल जाति मेघवाल नि. सिलेगढ तहसील पचपहाड

- वादीया

वनाम

नारायण पि. धन्नालाल जाति मेघवाल नि. नोलाई तहसील पिडावा

-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री पूरीलाल राठौर

वकील प्रतिवादी - श्री नीलकमल त्रिवेदी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरुव हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रुबरु वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीया के खाते

एवं कब्जे काश्त की ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमावंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 122 आराजी ख.नं. 473 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीया के शामिलती खातेदारी की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं करें।

निज मुबलिंग वावत् खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरहसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/04/2021 को जारी की गई।



(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर			वावत् इजराय हुक्मनामा	
वावत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक मीजान			मीजान	